रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1973/अग्रहायण 9, 1895

No. 407] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1973/AGRAHAYANA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th November 1973

S.O. 721(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twentieth Amendment Order, 1973.

2. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, after Item No. 41, the following item shall be added:—

"42. Writing and Printing Paper, all sorts"

[No. E/(C)O, 1968/AM(110).]

K. S. NARANG, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1973

एस० ओ० 721 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 20वां संशोधन आदेश, 1973 कहा जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची 1 के भाग 'ए' में मद संख्या 41 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

"42. लिखने और मुद्रण के लिए सभी प्रकार के कागज"।

[संख्या ई(सी) ओ०, 1968/ए०एम(110)]

के० एस० नारंग, संयुक्त सचिव।

ED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973